भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं. †5063
दिनांक 02.04.2025 को उत्तर देने के लए

खनन कार्यकलापों से अर्जित राजस्व का व्यय

†5063. श्री चरनजीत संह चन्नी:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों, वशेषकर ओडशा और झारखंड में खनन से अर्जित राजस्व का कुछ प्रतिशत स्थानीय जनजातीय समुदायों के कल्याण पर खर्च कया है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजस्व का कतना प्रतिशत इस प्रयोजनार्थ आवंटित कया गया है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. कशन रेड्डी)

(क) और (ख): खान और खनिज (वकास और वनियमन) (एमएमडीआर) अधनियम, 1957 की धारा 9ख में खनन संबंधी कार्यों से प्रभावत देश के प्रत्येक जिले में जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान है। डीएमएफ के तहत कए गए वकास एवं कल्याण परियोजनाओं/कार्यक्रमों से खनन कार्यकलापों से प्रभावत लोगों और क्षेत्रों को लाभ मलता है। इसमें ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय भी शामल हैं। आज तक, देश भर के 23 राज्यों में कुल 645 डीएमएफ स्थापत कए जा चुके हैं।

डीएमएफ को खनन पट्टा धारकों से प्राप्त वैधानिक अंशदान द्वारा वत्तपोषत कया जाता है और डीएमएफ के तहत अर्जित धनराश को संबंधत डीएमएफ द्वारा संबंधत राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार व्यय कया जाता है। डीएमएफ में अंशदान की दर नीलाम की गई खानों के लए रॉयल्टी का 10% और गैर-नीलामी वाली खानों के लए

रॉयल्टी का 30% है। ओ डशा और झारखंड राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, डीएमएफ के तहत जनजातीय समुदायों के कल्याण सहित वभिन्न कल्याण/वकास कार्यकलापों के लए एकत्रित और व्यय की गई धनराश का ब्यौरा निम्नलखत है:

राज्य	अर्जित धनराश (करोड़ रुपये में)	आवंटित राश (करोड़ रुपये में)	व्यय राश (करोड़ रुपये में)
ओडशा	30562.89	26975.72	17235.25
झारखंड	13791.40	10355.41	6679.39

*****